न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–5/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), मथुरा

उपस्थितः–श्वेता वर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP 6428}

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–817/2026

सी०एन०आर०सं०–UPMT01–001614/2026

तारिफ बनाम उ.प्र. राज्य

दिनांक 16–03–2026

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त तारिफ पुत्र भब्बल, निवासी हाथिया, थाना बरसाना, जिला मथुरा, द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रस्तर संख्या 04 में यह उल्लिखित है कि यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा न तो कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है, प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन है, न ही खारिज हुआ है।

2– **अभियोजन कथानक** –

गैंग लीडर शौकिन ने अपने सहअभियुक्त/सदस्य तारिफ के साथ मिलकर एक सुसंगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है। इस गैंग के गैंग लीडर व सदस्य एक राय व संगठित होकर अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिये वाहन चोरी आदि जैसी घटना कारित कर अवैध धन अर्जित कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है। इस गैंग के भय एवं आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने का एवं गवाही देने का साहस नही जुटा पाता है।

3– **अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये** –

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष हैं उसे झूँठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है और देरी का कोई स्पष्ट कारण नही दर्शाया गया है। मामले में पुलिस ने विधि विरूद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की है, जबकि अभियुक्त ने कोई अपराध नही किया है, उक्त सौकीन मुल्जिम के साथ गैंगलीडर बना दिया है और जो केस गैंगचार्ट में दर्शाया है वह सभी केस फर्जी है और पुलिस द्वारा प्लाण्ट किये है। तीन केसो के अलावा कोई केस नही है, तीनो केस एक साथ पुलिस ने फर्जी किये है, जिसमें नामजद भी नही है। अभियुक्त सीधे साधे परिवार का संभ्रान्त व्यक्ति है एवं मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है तथा जिसके फरार होने की कोई सम्भावना नही है। इस कारण इस प्रश्नगत अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान कर दी जाये।

4– **राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा प्रस्तुत तर्क –**

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा प्रस्तुत यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है तथा गैंग का सदस्य है। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के साथ वाहन चोरी जैसे अन्य मुकदमें दर्ज है। इस कारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5– **न्यायालय का निष्कर्ष** –

अभियुक्त तारिफ पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वाहन चोरी करने व चोरी का वाहन बरामद होने आदि सम्बन्धित आरोप है। उपरोक्त लगाये गये आरोप को दृष्टिगत रखते हुये, आधार पर्याप्त न होने के कारण यह अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2026.03.20 15:31:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

अभियुक्त तारिफ पुत्र भब्बल, निवासी हाथिया, थाना बरसाना, जिला मथुरा, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–817/2026, अन्तर्गत अपराध संख्या–73/2026 धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना–वृन्दावन, जिला–मथुरा निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांकः 16–03–2026

(श्वेता वर्मा)
(Ms. Sweta Verma)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 05, मथुरा
ID UP 6428